

बिहार सरकार
 अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
 सं०-३/निदे० (छात्रावास संधारण)६६-२४/२०१८- ३३

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
 सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
 बीरचंद पटेल पथ, पटना।

पटना-15, दिनांक- 20.09.18

विषय: वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत संकल्प संख्या-1143 दिनांक-10.05.2018 के आलोक में राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण छात्रावासों में आवासित छात्र/छात्राओं को खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) की आपूर्ति योजना का लाभ देने के लिए अनुसूचित जाति के लिए ₹19,23,739/- एवं अनुसूचित जनजाति के लिए ₹42,113/- अर्थात् कुल ₹ 19,65,852/- (उनीस लाख पैसठ हजार आठ सौ बावन रु०) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश - स्वीकृत।

2- स्वीकृत राशि का व्यय राज्य स्कीम से अनुसूचित जाति के लिए व्यय मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण और अल्पसंख्यकों का कल्याण- उप मुख्यशीर्ष-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-277-शिक्षा-उपशीर्ष-0101-शिक्षा-विषय शीर्ष-0101.21.01-सामग्री एवं पूर्तियां-मांग संख्या-44-विपत्र कोड संख्या-44-2225012770101 एवं

अनुसूचित जनजाति के लिए व्यय मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण और अल्पसंख्यकों का कल्याण-उप मुख्यशीर्ष-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-277-शिक्षा- उपशीर्ष-0101-शिक्षा-विषय शीर्ष-0101.21.01-सामग्री एवं पूर्तियां-मांग संख्या-44-विपत्र कोड संख्या-44-2225022770101 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3- इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। वे राशि की निकासी संलग्न विवरणी- 1 एवं 2 के अनुसार करेंगे। वे राशि का निकासी कर अपने जिला के जिला आपूर्ति पदाधिकारी को मांग के आलोक में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राशि हस्तगत करावेंगे। इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी जिला पदाधिकारी होंगे।

4- राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र सं०-2561 दिनांक 17-4-98 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य पत्र/परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा।


5- महालेखाकार, बिहार को इस राशि के व्यय से संबंधित अंकेक्षण करने का अधिकार होगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार, बिहार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

6- राशि की समुचित एवं नियमानुसार उपयोग के लिए संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे तथा वे राशि के व्यय के पश्चात् व्यय विवरणी एवं उपयुक्त प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में उपलब्ध करावेंगे।

7- प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार का अनुमोदन सं० 3/निदे० (छात्रावास संधारण) 66-24/2018 के पृष्ठ- /प० पर प्राप्त है।

8- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


 (प्रेम सिंह मीणा)
 सरकार के सचिव।


ज्ञापांक-3/निदे0 (छात्रावास संधारण)66-24/2018- 33 पटना, दिनांक- 20.09.18

प्रतिलिपि:- (1) वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) संबंधित कोषागार पदाधिकारी बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) (i) निदेशक अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/अपर सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/ उप निदेशक (मु0), अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सभी सहायक निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/अवर सचिव, प्रभारी बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/आई0 टी0 मैनेजर,/संबंधित प्रशाखा पदा0, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(ii) सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित उप विकास आयुक्त/सभी संबंधित उप निदेशक, कल्याण/ सभी संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी संबंधित जिला कल्याण पदा0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव।

विवरणी-1

अनु0 जाति कार्यरत छात्रावासों में स्वीकृत बल के विरुद्ध खाद्यन्नों की डोर स्टेप डिलीवरी योजना के तहत 6 माह के लिए स्वीकृत राशि ।

क्रम सं0	जिला का नाम	जिला के कार्यरत छात्रावासों का कुल छात्र/छात्राओं का संख्या बल	कुल खाद्यन्न (किलो ग्राम में)	कुल स्वीकृत राशि (राशि रू0 में)
1	2	3	4	5
1	पटना	340	30600	190913.00
2	नालन्दा	50	4500	28076.00
3	भोजपुर	472	42480	265033.00
4	बक्सर	21	1890	11792.00
5	रोहतास	232	20880	130270.00
6	भभुआ	201	18090	112864.00
7	गया	194	17460	108933.00
8	जहानाबाद	101	9090	56713.00
9	नवादा	175	15750	98264.00
10	औरंगाबाद	50	4500	28076.00
11	सारण	102	9180	57274.00
12	गोपालगंज	86	7740	48290.00
13	सीवान	86	7740	48290.00
14	प0चम्पारण	84	7560	47167.00
15	मुजफ्फरपुर	130	11700	72996.00
16	सीतामढी	84	7560	47167.00
17	दरभंगा	200	18000	112302.00
18	समस्तीपुर	109	9810	61205.00
19	मधुवनी	50	4500	28076.00
20	सहरसा	75	6750	42113.00
21	सुपौल	43	3870	24145.00
22	मधेपुरा	76	6840	42675.00
23	पूर्णिया	57	5130	32006.00
24	कटिहार	5	450	2808.00
25	अररिया	58	5220	32568.00
26	किशनगंज	19	1710	10669.00
27	भागलपुर	154	13860	86473.00
28	बाँका	23	2070	12915.00
29	मुंगेर	60	5400	33691.00
30	शेखपुरा	25	2250	14038.00
31	जमुई	14	1260	7861.00
32	बेगूसराय	50	4500	28076.00
	कुल:-	3426	308340	1923739.00

कुल उन्नीस लाख तैईस हजार सात सौ उन्नासि रू0 मात्र

सरकार के सचिव,


पत्रांक 33 दिनांक 20.09.18 का अनुलग्नक ।

विवरणी-2

अनु0 जनजाति कार्यरत छात्रावासों में स्वीकृत बल के विरुद्ध खाद्यन्नों की डोर स्टेप डिलीवरी योजना के तहत 6 माह के लिए स्वीकृत राशि ।

क्रम सं०	जिला का नाम	जिला के कार्यरत छात्रावासों का कुल छात्र/छात्राओं का संख्या बल	कुल खाद्यन्न (किलो ग्राम में)	कुल स्वीकृत राशि (राशि रू० में)
1	2	3	4	5
1	रोहतास	14	1260	7861.00
2	पूरणियां	15	1350	8423.00
3	भागलपुर	2	180	1123.00
4	जमुई	44	3960	24706.00
	कुल:-	75	6750	42113.00

कुल (बियालीस एक सो तेरह रू०) मात्र


11.9.18
सरकार के सचिव,

पत्रांक 33 दिनांक 20.09.18 का अनुलग्नक ।